राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –14/2021 निगरानी

1. राजेश कुमार पिता बालूलाल धाकड़ निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
–निगराकार

बनाम

1. मदन पिता बालू धाकड़ निवासी छोटा थडौदा तहसील बिजौलिया
2. सुमित्रा पुत्री बालू धाकड़ पत्नी भवानीशंकर धाकड़ निवासी छोटा थडौदा तहसील बिजौलिया
3. गायत्री पुत्री बालू धाकड़ पत्नी पंकज धाकड़ निवासी छोटा थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
4. अलिता पुत्री बालू धाकड़ पत्नी नरेश धाकड़ निवासी छोटा थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
5. मांगीबाई पुत्री भवानीलाल पत्नी शंकरलाल धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया
6. ग्राम पंचायत थडौदा जरिए सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

–गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत थडौदा पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी बापी पट्टा दिनांकित 15.01.1972 जरिए पत्रावली संख्या 46/2029 दिनांक 15.01.1972

उपस्थित –

1. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01,03,05 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार व उनकी पत्नी सोना धाकड द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 14–08–2020 को ग्राम थडौदा के आबादी क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड जगदीशचन्द्र पिता सुरेशचन्द्र धाकड, निवासी थड़ौदा के पक्ष में जारी आबादी भूमि के दो भूखण्ड जो विकय विलेख दिनांक 20–03–2000 व 20–07–2001 के द्वारा ग्राम पंचायत, थडौदा से प्राप्त किए गए थे, को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। इन

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दोनों भूखण्डों पर निगराकार व उनकी पत्नी का कब्जा सतत चला आ रहा है। दिनांक 20–11–2020 को गैर निगराकारान उक्त भूखण्ड पर आये और जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हुए निगराकार को बेदखल करने की धमकी दी और अपने पूर्वज भवानीलाल पिता खेरिंग धाकड, निवासी थडौदा के पक्ष में जारी बापी पट्टा दिनांकित 15–01–1972 बताते हुए उक्त दोनों भूखण्डों पर अपना स्वामित्व बत्ताकर विवाद उत्पन्न किया, जिस पर निगराकार ने ग्राम पंचायत, थडौदा से पत्रावली सं० 46 सम्वत् 2029 दिनांक 15–01–72 की पत्रावली की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया। इस पर ग्राम पंचायत, थडौदा ने इस आशय का कोई रेकार्ड व दस्तावेज नहीं होना बताते हुए दिनांक 27–11–2020 को निगराकार के पक्ष में पत्र जारी किया। गैर निगराकार सं० 1 लगायत 5 के द्वारा पेश किया गया फर्जी व कूटरचित बापी पट्टा दिनांकित 15–01–72 जरिये पत्रावली सं०46/2029 से जारी किया जाना बताया है, वह सर्वथा आधारहीन व तत्कालीन नियमों व प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी व पालना नहीं करते हुए बिना पत्रावली कायम किए जारी किया गया होकर निरस्त योग्य है। उक्त बापी पट्टा जो भवानीलाल पिता खेरिंग धाकड, निवासी थडौदा के पक्ष में दिनांक 15–01–72 को जारी किया जाना बताया है, उसकी कोई पत्रावली ग्राम पंचायत द्वारा संधारित नहीं की गई है। इस प्रकार भूखण्ड के बाबत जारी किए जाने वाले विक्रय विलेख या बापी पट्टे के सम्बन्ध में तत्कालीन किसी प्रक्रिया व प्रावधानों की पालना नहीं की गई है और न ही कोई राशि जमा की गई है। उक्त आबादी भूमि दिनांक 03–11–1977 को जरिये आबादी में परिवर्तन आदेश के तहत राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। इससे पहले यह भूमि बिलानाम नाकाबिल काश्त के रूप में दर्ज थी। इस प्रकार उक्त भूखण्डों की आराजी सन् 1977 में आबादी में दर्ज हुई है तो गैर निगराकार के पूर्वज भवानीलाल को दिनांक 15–01–1972 को बापी पट्टे के रूप में यह भूखण्ड प्रदत्त किया जाना सर्वथा शून्य, अप्रभावी व कूटरचित दस्तावेज होकर गैर निगराकारान सं० 1 लगायत 5 को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है तथा यह बापी पट्टा दिनांकित 15–01–1972 खारिज किए जाने योग्य है। तथाकथित बापी पट्टा दिनांक 15–01–72 जो भवानीलाल के पक्ष में जारी किया गया है, के दक्षिण में पडौस भवानीलाल के स्वयं की जमीन बताई गई है। राजस्व नक्शे व जमाबंदी के अनुसार भवानीलाल के ख्सं0 258, 259 व 260 खातेदारी हक से दर्ज है, जो आबादी भूमि 1875/266 के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार तथाकथित बापी पट्टा दिनांकित 15–01–72 के दक्षिणी पडौस व राजस्व रेकार्ड के नक्शें में दर्शाई गई आराजी नं0 258, 259 व 260 से स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि तथाकथित बापी पट्टा दिनांक 15–01–1972 आराजी सं० 1875/266 में सन् 1972 में जारी किया गया है, जबकि यह

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजी सन् 1977 में आबादी में दर्ज हुई है, इससे पहले बिलानाम नाकाबिल काश्त थी। इस प्रकार गैर निगराकार सं० 1 लगायत 5 के पास बापी पट्टा दिनांकित 15–01–72 सर्वथा शून्य व अप्रभावी होकर निरस्त किए जाने योग्य है। निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं० 1 लगायत 5 के पूर्वज भवानीलाल पिता खेरिंग धाकड के नाम पर जारी किए गए या बनाये गये बापी पट्टा दिनांकित 15–01–72 जरिये पत्रावली सं० 46/2029 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01, 03, 05 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त भूखण्डों की आराजी सन् 1977 में आबादी में दर्ज हुई है तो गैर निगराकार के पूर्वज भवानीलाल को दिनांक 15–01–1972 को बापी पट्टे के रूप में यह भूखण्ड प्रदत्त किया जाना सर्वथा शून्य, अप्रभावी व कूटरचित दस्तावेज होकर गैर निगराकारान सं० 1 लगायत 5 को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है तथा यह बापी पट्टा दिनांकित 15–01–1972 खारिज किए जाने योग्य है। तथाकथित बापी पट्टा दिनांक 15–01–72 जो भवानीलाल के पक्ष में जारी किया गया है, के दक्षिण में पडौस भवानीलाल के स्वयं की जमीन बताई गई है। राजस्व नक्शे व जमाबंदी के अनुसार भवानीलाल के ख. सं0 258, 259 व 260 खातेदारी हक से दर्ज है, जो आबादी भूमि 1875/266 के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार तथाकथित बापी पट्टा दिनांकित 15–01–72 के दक्षिणी पडौस व राजस्व रेकार्ड के नक्शें में दर्शाई गई आराजी नं0 258, 259 व 260 से स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि तथाकथित बापी पट्टा दिनांक 15–01–1972 आराजी सं० 1875/266 में सन् 1972 में जारी किया गया है, जबकि यह आराजी सन् 1977 में आबादी में दर्ज हुई है, इससे पहले बिलानाम नाकाबिल काश्त थी। इस प्रकार गैर निगराकार सं० 1 लगायत 5 के पास बापी पट्टा दिनांकित 15–01–72 सर्वथा शून्य व अप्रभावी होकर निरस्त किए जाने योग्य है। निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं० 1 लगायत 5 के पूर्वज भवानीलाल पिता खेरिंग धाकड के नाम पर जारी किए गए या बनाये गये बापी पट्टा दिनांकित 15–01–72 जरिये पत्रावली सं० 46/2029 को निरस्त फरमाया जावें।

गैर निगराकार संख्या 01,03,05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि गैर निगराकारान के पूर्वज भवानी जी धाकड़ के नाम से ग्राम पंचायत थडौदा द्वारा दिनांक 15.01.1972 को नियमानुसार कार्यवाही कर

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली कायम कर पूर्ण जांच कर नियमानुसार विधिवत पट्टा जारी किया गया है तथा दिनांक 15.01.1972 से ही उक्त भूखण्ड पर भवानीलाल मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा था तथा उनकी मृत्यु के उपरांत उनके वारिसान इस भूखण्ड का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। आबादी भूमि व कृषि भूमि अलग–अलग है तथा आबादी भूमि में से ही विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया जो सही तोर जारी किया गया। इस प्रकार बिना किसी आधार के यह निगरानी पेश की जो खारिज होने योग्य होकर तथाकथित पट्टा दिनांक 15.01.1972 बहाल रखे जाने योग्य है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने वर्ष 1972 में जारीशुदा पटटे को निरस्त कराने बाबत् लगभग 50 वर्ष बाद निगरानी बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत की हैं, जो मियाद बाधित ठहरती हैं। कब्जे के संबंध में निगराकार द्वारा कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये गये। निगराकार स्वयं ने अपनी निगरानी मेमों के साथ मिसल पत्रावली की कोई प्रमाणित प्रति पेश नही की गयी। ऐसे में मिसल पत्रावली अथवा मिसल पत्रावली की सत्यापित प्रति के अभाव में पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में तथा अत्यधिक मियाद बाधित पटटे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत थडौदा तहसील बिजौलिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.12.25

(रणजीत सिंह),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा